न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार लोक अतिक्रमण वाद संख्या 04/2011

परमानन्द सिंह वनाम् राजीव कुमार उर्फ सबलु वैगरह

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक परमानन्द सिंह पिता स्व० राजदेव सिंह निवासी ग्राम सुखी विगहा थाना कलेर अंचल कलेर जिला अरवल के द्वारा खाता नं० 164 प्लॉट नं० 575 रकवा 11 डी० अवस्थित मौजा सुखी विगहा थाना कलेर जिला अरवल के विरूद्व बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की धारा 03 की करवाई प्रारम्भ करने हेतु वाद लाया गया है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। तदुपरान्त अंचल अधिकारी कलेर से प्रतिवेदन की मॉग की गई।

प्रथम प्रक्ष का कहना है कि खाता नं०164 खेसरा नं० 575 रकवा 11 डी०जमीन गैरमजरूआ आम जमीन है जिसपर वादी समेत अन्य ग्रामीण रास्ता का उपयोग कर रहे है। परन्तु उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष 3 फीट रास्ता छोड़कर मकान एवं चबूतरा बनाकर अतिकमित कर लिए है। अंचल अधिकारी,कलेर ने उक्त विवादित जमीन का नापी अंचल अमीन कलेर से करायी। अंचल अमीन कलेर ने प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि का 330 वर्गकड़ी भूमि द्वितीय पक्ष द्वारा अतिकमित कर लिया गया है।

द्वितीय पक्ष ने नापी प्रतिवेदन पर आपति दर्ज करते हुए कहा है कि प्रथम पक्ष के द्वारा उस आम भूमि में मकान तथा गली में करीब $2\frac{1}{2}$ फीट ऊँचा शौचालय का टंकी बनाकर रास्ता का अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रतिवेदन में द्वितीय पक्ष के भूमि को बढ़ा चढ़ाकर नापा गया है। प्रश्नगत् भूमि के दोनों तरफ पुरब तथा पश्चिम उभय पक्ष का आवासीय मकान वर्षो पूर्व बना हुआ है,द्वितीय पक्ष का मकान करीब 30–40 वर्षो पूर्व का अपने खतियानी भूमि में निर्मित है। उनके द्वारा प्लॉट नं० 575 में अतिक्रमण नहीं किया गया है। उभय पक्षों को सुनने एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के द्वारा विवादित जमीन खाता 164 प्लॉट नं०575,जो कि गैर मजरूआ आम भूमि है का अतिक्रमण किया गया है। न्यायालय अंचल अधिकारी कलेर को आदेश देती है कि वे पुनः उपरोक्त विवादित जमीन का नापी करायें और अतिकमित भूमि को उभय पक्षों के कब्जा से मुक्त करायें।

लेखापित् एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।